

संख्या : 5625(1)/1574-2025-26

प्रेषक,

निलेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा (7) अनुभाग

सेवा में

शिक्षा निदेशक(मा०),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 09 मई 2025

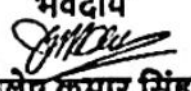
विषय : प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: शिविर/4563/2024-25 दिनांक 23 सितम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2072(1)15-07-2009 दिनांक 15-01-2010 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर निर्गत पूर्व शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए विभिन्न मदों के वर्तमान शुल्क दरों में वृद्धि कर उसके स्थान पर निम्नलिखित सूची में उल्लिखित मद के सम्मुख अंकित संशोधित शुल्क दरें लागू जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क्र० सं०	शुल्क का मद	देय की अवधि	कक्षा-9 व 10 वर्तमान दर (रु०)	प्रस्तावित दर (रु०)	कक्षा-11-12 वर्तमान दर (रु०)	प्रस्तावित दर (रु०)	टिप्पणी
1	विकास	मासिक	10.00	25.00	15.00	35.00	-
2	क्रीड़ा	मासिक	05.00	10.00	05.00	10.00	-
3	विज्ञान	मासिक	05.00	20.00	05.00	20.00	-
4	स्काउटिंग	मासिक	02.00	10.00	02.00	10.00	-
5	रेडक्रास	मासिक	01.00	10.00	01.00	10.00	-
6	पंखा	वार्षिक	10.00	30.00	20.00	30.00	-
7	निर्धन शुल्क	वार्षिक	10.00	20.00	10.00	20.00	-
8	जलपान	वार्षिक	10.00	20.00	10.00	20.00	-
9	वाचनालय	वार्षिक	12.00	25.00	12.00	25.00	-
10	श्रव्य द्रिश्य	वार्षिक	02.00	10.00	02.00	10.00	-
11	कला	वार्षिक	02.00	10.00	-	-	-
12	पत्रिका	वार्षिक	20.00	30.00	20.00	30.00	-
13	प्रगतिपत्र	वार्षिक	05.00	10.00	05.00	10.00	-
14	पुं० प्रवेश		10.00	20.00	10.00	20.00	नाम कट जाने पर पुं० प्रवेश के समय
15	छात्रपंजी		10.00	25	10	25	छात्रपंजी की प्रति प्राप्त करते समय प्रतिदिन

16	विलम्ब दण्ड		01.00	10	01.00	10.00	शुल्क विलम्ब से जमा करने पर
17.	अनुपस्थित दण्ड		01.00	10	01.00	10.00	प्रतिदिन
18	गृह परीक्षा		25.00	35	25.00	50.00	-

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे उपरोक्तानुसार आवश्यक आदेश/निर्देश तत्काल सम्बंधित अधिकारीयों तथा शिक्षण संस्थाओं को जारी करें तथा उपर्युक्त कार्यवाही करते हुए जरी किये गए आदेश की प्रतियाँ शासन को भी तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

 (निलेश कुमार सिंह)
 संयुक्त सचिव

संख्या : 5625(1)/1574-2025-26 तद दिनांक।

प्रतिलिपि- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (निलेश कुमार सिंह)
 संयुक्त सचिव